

फोटो

**प्रारूप-2**

(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

**बंध-पत्र**

(सम्यक रूप से स्टांपित किया जावेएवं जो लागू न हो उसे काट दे)

- 1- मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में  
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018  
को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।
- 3- मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

**i) सीट लिविंग बॉण्ड-**

- अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत  
अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
- ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात्  
एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा  
निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा  
महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस/ डिप्लोमा  
पाठ्यक्रम के लिये रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख )/एमडीएस पाठ्यक्रम के लिये रू0  
5,00,000/- ( रू0 पाँच लाख ) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँअथवा निजी  
चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पूर्ण  
शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

**ii) ग्रामीण सेवा बॉण्ड-**

- अ- मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर  
विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब- गैर सेवारत अभ्यर्थी - ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु एक वर्ष होगी एवं सेवा न करने की स्थिति में डिग्री/डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु क्रमशः रू0 10 लाख एवं रू0 8 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

**अथवा**

स- सेवारत अभ्यर्थी- ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम एवं डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु क्रमशः पांच वर्ष एवं तीन वर्ष की होगी। सेवा न करने की स्थिति में डिग्री/डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु क्रमशः रू0 30 लाख एवं रू0 20 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

द- शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना होगा।

इ- यह कि, सीट लीविंग बांड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....